M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2722 दिनांक : 10.10.2025
13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S ECO GENESIS LIFE SCIENCES**, C-130, MIDC MALEGAON TAL. SINNAR DIST. NASHIK- 422113 (MS) CUSTOMER CARE : 8308296177 - E-MAIL : ecoseva@ecogenesislifesciences.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. <u>शासकीय अनुदान</u> : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. सामग्री की प्रदायगी – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. सामग्री की गुणवत्ता – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. प्राईज़ फार क्लॉस – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

....3

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2723
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S ECO GENESIS LIFE SCIENCES**, C-130, MIDC MALEGAON TAL. SINNAR DIST. NASHIK- 422113 (MS) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

ECO GENESIS LIFE SCIENCES, C-130, MIDC MALEGAON TAL. SINNAR
ST. NASHIK- 422113 (MS) CUSTOMER CARE : 8308296177 E-MAIL :
ecoseva@ecogenesislifesciences.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	**87.00**	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	**95.92**
		500 gm	**44.00**	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	**48.51**
		250 gm	**24.50**	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	**27.01**
2	Ammonium Molibdate 52%	50 gm	**125.00**	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	**137.81**
3	Magnesium Sulphate 9.5%	1 Kg	**22.00**	5%	1.10	23.10	22.00	1.10	5%	1.16	**24.26**
4	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	**26.00**	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	**28.67**

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / २७२५ दिनांक : 10.10.2025 13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S GLOBAL SRL AGRO INDUSTRIES** VILL. URDUA (KHURD), PARIYAT, PANAGAR, JABALPUR - 483220 (MP) MR. BRAJESH KUMAR SHRIVAS : 9425160392 - E-MAIL : ramswarup1764@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड –** सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2725
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S GLOBAL SRL AGRO INDUSTRIES,** VILL. URDUA (KHURD), PARIYAT, PANAGAR, JABALPUR - 483220 (MP)की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

OBAL SRL AGRO INDUSTRIES, VILL. URDUA (KHURD), PARIYAT, GAR, JABALPUR - 483220 (MP) MR. BRAJESH KUMAR SHRIVAS : 160392 E-MAIL : ramswarup1764@gmail.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Copper Sulphate 24%	10 Kg	**1080.00**	5%	54.00	1134.00	1080.00	54.00	5%	56.70	**1190.70**
		5 Kg	**575.00**	5%	28.75	603.75	575.00	28.75	5%	30.19	**633.94**
		1 kg	**121.00**	5%	6.05	127.05	121.00	6.05	5%	6.35	**133.40**
		500 gm	**63.00**	5%	3.15	66.15	63.00	3.15	5%	3.31	**69.46**
2	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder.	25 Kg	**870.00**	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	**959.18**
3	Magnesium Sulphate 9.5%	10 Kg	**130.00**	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	**143.33**
		5 Kg	**70.00**	5%	3.50	73.50	70.00	3.50	5%	3.68	**77.18**
4	Ferrous Sulphate 19%	10 Kg	**128.00**	5%	6.40	134.40	128.00	6.40	5%	6.72	**141.12**
		5 Kg	**67.00**	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	**73.87**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2720 दिनांक : 10.10.2025 13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S TUSOVA AGRO PRIVATE LIMITED,** PLOT NO. D 54/1, MIDC AWADHAN, DIST. DHULE (MH) - 424006 CONTECT : 9403008645 - E-MAIL : info@tusova.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

सामग्री की प्रदायगी – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. सामग्री की गुणवत्ता – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. प्राईज़ फार क्लॉस – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

....3

मापदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2721
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S TUSOVA AGRO PRIVATE LIMITED**, PLOT NO. D 54/1, MIDC AWADHAN, DIST. DHULE (MH) - 424006 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

A AGRO PRIVATE LIMITED, PLOT NO. D 54/1, MIDC AWADHAN, LE (MH) - 424006 CONTECT : 9403008645 E-MAIL : ova.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	**299.88**
2	Azadirachthin 1.0% 10000 PPM	250 ml	197.00	5%	9.85	206.85	197.00	9.85	5%	10.34	**217.19**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2518 दिनांक : 10.10.2025
13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S VARUN FERTILIZERS PVT. LTD.** 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANJ, INDORE - 452001 (MP) CONTECT : 9425443337 - E-MAIL : varunfertilizer@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

सामग्री की प्रदायगी – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. सामग्री की गुणवत्ता – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. प्राईज़ फार क्लॉस – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

....3

मापदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2719
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S VARUN FERTILIZERS PVT. LTD.** 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANJ, INDORE - 452001 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)

ARUN FERTILIZERS PVT. LTD. 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANJ, E-
RE - 452001 (MP) CONTECT : 9425443337
: varunfertilizer@gmail.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**
		4 kg	**540.00**	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	**595.35**
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	**37.00**	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	**40.79**
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	**37.00**	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	**40.79**
4	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder.	25 Kg	**870.00**	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	**959.18**
		10 Kg	**347.00**	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	**382.57**
		5 Kg	**174.00**	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	**191.84**
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%,Mn 0.5%,B 0.1%	5 Ltr	**1275.00**	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	**1405.69**
		1 Ltr	**260.00**	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	**286.65**
		500 ml	**130.00**	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	**143.33**
		250 ml	**65.00**	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	**71.66**
		100 ml	**30.00**	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	**33.08**
6	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	**230.00**	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	**253.58**
		50 gm	**125.00**	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	**137.81**
7	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	**26.00**	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	**28.67**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2716 दिनांक : 10.10.2025 13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S AGRILAND BIOTECH LIMITED,** 36, PRINCE IND. ESTATE MOTA - MOTIPURA - 391520 (SAMLAYA), TA. SAVLI, DIST. MARODA, GUJARAT CONTECT NO. : 02667-251296, 251596 - E-MAIL : info@agrilandbiotech.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **<u>शासकीय अनुदान</u>** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **<u>आदेश की प्रक्रिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. सामग्री की प्रदायगी – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. सामग्री की गुणवत्ता – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. प्राईज़ फार क्लॉस – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

....3

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2717
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S AGRILAND BIOTECH LIMITED,** 36, PRINCE IND. ESTATE MOTA - MOTIPURA - 391520 (SAMLAYA), TA. SAVLI, DIST. MARODA, GUJARAT की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

RILAND BIOTECH LIMITED, REGD. OFFICE : 36, PRINCE IND. ESTATE
MOTIPURA - 391520 (SAMLAYA), TA. SAVLI, DIST. MARODA, GUJARAT
ECT NO. : 02667-251296, 251596 E-MAIL : info@agrilandbiotech.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	1 kg	**215.00**	5%	10.75	225.75	215.00	10.75	5%	11.29	**237.04**
		500 gm	**115.00**	5%	5.75	120.75	115.00	5.75	5%	6.04	**126.79**
		250 gm	**64.00**	5%	3.20	67.20	64.00	3.20	5%	3.36	**70.56**
2	Verticillium Lecanii 1.15% WP	250 gm	**69.00**	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	**76.07**
3	Trichoderma Harzianum 1.0% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**120.00**	5%	6.00	126.00	120.00	6.00	5%	6.30	**132.30**
		250 gm	**65.00**	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	**71.66**

FCO AUTORISED INM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2714 दिनांक : 10.10.2025 13

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
——————————

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S RUCHI OYSTER MUSHROOM,** SUMAN HOUSE, TIRORA ROAD, KUDWA, TAN + DIST. GONDIA - 441614 (MS) CONTACT : 8888433399, 8888733399 - E-MAIL : ruchiovster.m@gmail.com

निगम की कय–विकय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ✶ BHOPAL ✶

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"<u>भुगतान</u> <u>पश्चात् भुगतान</u>"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

....3

मापदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिंक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2715
13-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S RUCHI OYSTER MUSHROOM,** SUMAN HOUSE, TIRORA ROAD, KUDWA, TAN + DIST. GONDIA - 441614 (MS)की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)

परिशिष्ट – 01

CHI OYSTER MUSHROOM, SUMAN HOUSE, TIRORA ROAD, KUDWA,
DIST. GONDIA - 441614 (MS) CONTACT : 8888433399, 8888733399
AIL : ruchiovster.m@gmail.com

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	**385.00**	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	**424.46**
2	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	**552.00**	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	**608.58**
		500 ml	**290.00**	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	**319.73**
		250 ml	**150.00**	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	**165.38**
3	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	**191.00**	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	**210.58**
4	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**117.00**	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	**128.99**
		250 gm	**67.00**	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	**73.87**
5	Pseudomonas Fluorescens 0.5% WP	1 kg	**202.00**	5%	10.10	212.10	202.00	10.10	5%	10.61	**222.71**
		500 gm	**109.50**	5%	5.48	114.98	109.50	5.48	5%	5.75	**120.72**
6	Sulphur 85% DP	1 Kg	**57.50**	5%	2.88	60.38	57.50	2.88	5%	3.02	**63.39**
		500 gm	**35.50**	5%	1.78	37.28	35.50	1.78	5%	1.86	**39.14**
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

2.

3.

Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2612 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S INDORE BIOTECH INPUTS AND RESEACH PVT. LTD.** "ARUNDATI" 49-C, FIRST FLOOR, INDRAPURI COLONY, NEAR BHANWARKUA, SQUARE, INDORE - 452001 (MP) CONTECT : SHRI ABHIRAM D.K. 9893021888 E-MAIL : ibirpl@gmail.com, ibirpl@rediff.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी., ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** – निगम के माध्यम से विभाग / कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **<u>प्राईज़ फार क्लॉस</u>** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था / उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2613
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S INDORE BIOTECH INPUTS AND RESEACH PVT. LTD.** "ARUNDATI" 49-C, FIRST FLOOR, INDRAPURI COLONY, NEAR BHANWARKUA, SQUARE, INDORE - 452001 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

/S INDORE BIOTECH INPUTS AND RESEACH PVT. LTD. "ARUNDATI" 49-C, FIRST FLOOR, INDRAPURI COLONY, NEAR BHANWARKUA, SQUARE, INDORE - 452001 (MP) SHRI ABHIRAM D.K. 9893021888 E-MAIL : ibirpl@gmail.com,

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	**272.00**	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	**299.88**
		500 ml	**142.00**	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	**156.56**
		250 ml	**76.00**	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	**83.79**
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	**385.00**	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	**424.46**
		500 ml	**195.00**	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	**214.99**
		250 ml	**104.00**	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	**114.66**
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	**552.00**	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	**608.58**
		500 ml	**290.00**	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	**319.73**
		250 ml	**150.00**	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	**165.38**
4	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**117.00**	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	**128.99**
		250 gm	**67.00**	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	**73.87**
5	Pseudomonas Fluorescens 0.5% WP	1 kg	**202.00**	5%	10.10	212.10	202.00	10.10	5%	10.61	**222.71**
		500 gm	**109.50**	5%	5.48	114.98	109.50	5.48	5%	5.75	**120.72**
		250 gm	**61.00**	5%	3.05	64.05	61.00	3.05	5%	3.20	**67.25**
		100 gm	**34.00**	5%	1.70	35.70	34.00	1.70	5%	1.79	**37.49**
6	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	**190.00**	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	**209.48**
		500 gm	**100.00**	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	**110.25**
		250 gm	**69.00**	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	**76.07**
7	HNPV	100 LE	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		250 LE	**345.00**	5%	17.25	362.25	345.00	17.25	5%	18.11	**380.36**
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**
		4 kg	**540.00**	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	**595.35**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2614 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S ROXHARTD AGRIORGENICS INC,** CM - 68, SECTOR - C, SHAHPURA, BHOPAL (MP) CONTECT PERSON : SHRI SHAISHAV VERMA - 9826011273 E-MAIL : roxhartd@rediffmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **<u>प्राईज़ फार क्लॉस</u>** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

<u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

....3

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश मे मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2615
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S ROXHARTD AGRIORGENICS INC,** CM - 68, SECTOR - C, SHAHPURA, BHOPAL (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

M/S ROXHARTD AGRIORGENICS INC, CM - 68, SECTOR - C, SHAHPURA, BHOPAL (MP) SHRI SHAISHAV VERMA - 9826011273 E-MAIL : roxhartd@rediffmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	SELLING PRICE Basic Rate	Corporation Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	299.88
		500 ml	142.00	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	156.56
		250 ml	76.00	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	83.79
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
		250 gm	24.50	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	27.01
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18
		10 Kg	347.00	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	382.57
		5 Kg	174.00	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	191.84
6	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%,Mn 0.5%, B 0.1%	5 Ltr	1275.00	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	1405.69
		1 Ltr	260.00	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	286.65
		500 ml	130.00	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	143.33
7	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
		50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2616 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S ADVANCE CROPCARE (INDIA) PVT. LTD.** 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANT, INDORE - 452001 (MP) CONTECT PERSON : SHRI ABHISHEKH TIWARI - 9300090093, 9425056006 E-MAIL : dynamic2128@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2617
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S ADVANCE CROPCARE (INDIA) PVT. LTD.** 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANT, INDORE - 452001 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd * BHOPAL *

ADVANCE CROPCARE (INDIA) PVT. LTD. 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH
OGANT, INDORE - 452001 (MP) CONTECT PERSON : SHRI ABHISHEKH TIWARI -
00090093, 9425056006 E-MAIL : dynamic2128@gmail.com

परिशिष्ट – 01

(1) CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	299.88
		500 ml	142.00	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	156.56
		250 ml	76.00	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	83.79
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	552.00	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	608.58
		500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
		250 ml	150.00	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	165.38
4	Azadirachthin 1.0% 10000 PPM	250 ml	197.00	5%	9.85	206.85	197.00	9.85	5%	10.34	217.19
6	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	191.00	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	210.58
		500 gm	98.00	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	108.05
		250 gm	55.00	5%	2.75	57.75	55.00	2.75	5%	2.89	60.64
		100 gm	22.00	5%	1.10	23.10	22.00	1.10	5%	1.16	24.26
7	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	117.00	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	128.99
		250 gm	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
9	Pseudomonas Fluorescens 1.0%	100 gm	32.00	5%	1.60	33.60	32.00	1.60	5%	1.68	35.28

(2) FCO AUTORISED INM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
		250 gm	24.50	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	27.01
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18
		10 Kg	347.00	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	382.57
		5 Kg	174.00	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	191.84
6	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3% Mn 0.5%, B 0.1%	5 Ltr	1275.00	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	1405.69
		1 Ltr	260.00	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	286.65
		500 ml	130.00	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	143.33
		250 ml	65.00	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	71.66
		100 ml	30.00	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	33.08
7	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
		50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81
8	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	26.00	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	28.67

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2620 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S INTERNATION AL BIOTECH PRODUCTS,** 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM - 457001 (MP) CONTECT PERSON : R.R. SHARMA - 9098890202 E-MAIL : ibtpindia@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **<u>प्राईज़ फार क्लॉस</u>** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **<u>भुगतान</u>** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात भुगतान"</u>** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2621
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निंज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S INTERNATIONAL BIOTECH PRODUCTS,** 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM - 457001 (MP)की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

S INTERNATION AL BIOTECH PRODUCTS, 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM -
57001 (MP) CONTECT PERSON : R.R. SHARMA - 9098890202 E-MAIL :
btpindia@gmail.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
(1) CIB CERTIFIED IPM PRODUCT											
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	299.88
		500 ml	142.00	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	156.56
		250 ml	76.00	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	83.79
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	552.00	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	608.58
		500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
		250 ml	150.00	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	165.38
4	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	117.00	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	128.99
		250 gm	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
5	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	190.00	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	209.48
		500 gm	100.00	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	110.25
		250 gm	69.00	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	76.07
6	Sulphur 85% DP	500 gm	35.50	5%	1.78	37.28	35.50	1.78	5%	1.86	39.14
(2) FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
		250 gm	24.50	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	27.01
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18
		10 Kg	347.00	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	382.57
		5 Kg	174.00	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	191.84
6	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%, Mn 0.5%, B 0.1%	5 Ltr	1275.00	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	1405.69
		1 Ltr	260.00	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	286.65
		500 ml	130.00	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	143.33
		250 ml	65.00	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	71.66
		100 ml	30.00	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	33.08
7	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
		50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81
8	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	26.00	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	28.67

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2622 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S OSHNIC CROP SCIENCE LIMITED,** PLOT NO. 10, SECTOR-A, INDUSTRIAL AREA, BAGRODA, DISTT BHOPAL (MP) - 462026 CONTECT NO. : 91-8435209410 E-MAIL : oshniccropscienceltd@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

....3

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2623
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S OSHNIC CROP SCIENCE LIMITED,** PLOT NO. 10, SECTOR-A, INDUSTRIAL AREA, BAGRODA, DISTT BHOPAL (MP) - 462026 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

2025-26

OSHNIC CROP SCIENCE LIMITED, PLOT NO. 10, SECTOR-A, INDUSTRIAL AREA,
GRODA, DISTT BHOPAL (MP) - 462026 CONTECT NO. 91-8435209410
MAIL : oshniccropscienceltd@gmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	299.88
		500 ml	142.00	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	156.56
		250 ml	76.00	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	83.79
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	552.00	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	608.58
		500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
		250 ml	150.00	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	165.38
4	Azadirachthin 1.0% 10000 PPM	250 ml	197.00	5%	9.85	206.85	197.00	9.85	5%	10.34	217.19
5	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	191.00	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	210.58
		500 gm	98.00	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	108.05
		250 gm	55.00	5%	2.75	57.75	55.00	2.75	5%	2.89	60.64
9	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	1 kg	215.00	5%	10.75	225.75	215.00	10.75	5%	11.29	237.04
		500 gm	115.00	5%	5.75	120.75	115.00	5.75	5%	6.04	126.79
		250 gm	64.00	5%	3.20	67.20	64.00	3.20	5%	3.36	70.56
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
3	Copper Sulphate 24%	10 Kg	1110.00	5%	55.50	1165.50	1110.00	55.50	5%	58.28	1223.78
		5 Kg	590.00	5%	29.50	619.50	590.00	29.50	5%	30.98	650.48
		1 kg	121.00	5%	6.05	127.05	121.00	6.05	5%	6.35	133.40
		500 gm	63.00	5%	3.15	66.15	63.00	3.15	5%	3.31	69.46
		250 gm	33.00	5%	1.65	34.65	33.00	1.65	5%	1.73	36.38
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
		250 gm	24.50	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	27.01
5	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
		50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81
6	Magnesium Sulphate 9.5%	10 Kg	130.00	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	143.33
		5 Kg	70.00	5%	3.50	73.50	70.00	3.50	5%	3.68	77.18
7	Ferrous Sulphate 19%	10 Kg	128.00	5%	6.40	134.40	128.00	6.40	5%	6.72	141.12
		5 Kg	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
		1 kg	26.00	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	28.67

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2624 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S KRISHI BIO-PRODUCTS & RESARCH PVT. LTD.** 10/83, STATION ROAD, KIBE COLONY, RAU INDORE - 453331 (MP) CONTECT PERSON : SHRI JITENDRA VISHWAKARMA - 9111171271 E-MAIL : krishibio.indore@gmail.com

निगम की कय–विकय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **<u>शासकीय अनुदान</u>** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **<u>आदेश की प्रकिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग / कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था / उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड –** सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2625
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–
1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S KRISHI BIO-PRODUCTS & RESARCH PVT. LTD.** 10/83, STATION ROAD, KIBE COLONY, RAU INDORE - 453331 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

KRISHI BIO-PRODUCTS & RESARCH PVT. LTD. 10/83, STATION ROAD, KIBE COLONY,
INDORE - 453331 (MP) CONTECT PERSON : SHRI RAVI UPADHYAY - 9926422222 E-
AIL : krishibio.indore@gmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corporation Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	272.00	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	299.88
		500 ml	142.00	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	156.56
		250 ml	76.00	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	83.79
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	552.00	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	608.58
		500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
		250 ml	150.00	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	165.38
4	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	191.00	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	210.58
		500 gm	98.00	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	108.05
		250 gm	55.00	5%	2.75	57.75	55.00	2.75	5%	2.89	60.64
		100 gm	22.00	5%	1.10	23.10	22.00	1.10	5%	1.16	24.26
5	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	117.00	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	128.99
		250 gm	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
6	Pseudomonas Fluorescens 0.5% WP	1 kg	202.00	5%	10.10	212.10	202.00	10.10	5%	10.61	222.71
		500 gm	109.50	5%	5.48	114.98	109.50	5.48	5%	5.75	120.72
		250 gm	61.00	5%	3.05	64.05	61.00	3.05	5%	3.20	67.25
		100 gm	34.00	5%	1.70	35.70	34.00	1.70	5%	1.79	37.49
7	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	100 gm	32.00	5%	1.60	33.60	32.00	1.60	5%	1.68	35.28
8	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	190.00	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	209.48
		500 gm	100.00	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	110.25
		250 gm	69.00	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	76.07
9	Trichoderma Harzianum 1.0% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	120.00	5%	6.00	126.00	120.00	6.00	5%	6.30	132.30
		250 gm	65.00	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	71.66
		50 gm	15.00	5%	0.75	15.75	15.00	0.75	5%	0.79	16.54
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	37.00	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	40.79
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
		250 gm	24.50	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	27.01
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18
		10 Kg	347.00	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	382.57
		5 Kg	174.00	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	191.84
6	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%,Mn 0.5%,B 0.1%	5 Ltr	1275.00	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	1405.69
		1 Ltr	260.00	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	286.65
		500 ml	130.00	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	143.33
		250 ml	65.00	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	71.66
		100 ml	30.00	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	33.08
7	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
		50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81
8	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	26.00	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	28.67

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2678 दिनांक : 06.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S AGRO PESTICIDES,** 10, INDUSTRIAL ESTATE, ITARSI - 461111 (MP) CONTECT : 07572 - 230496, 230696 - E-MAIL : agropesticides@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. सामग्री की प्रदायगी – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. सामग्री की गुणवत्ता – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. प्राईज़ फार क्लॉस – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2679
10-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S AGRO PESTICIDES,** 10, INDUSTRIAL ESTATE, ITARSI - 461111 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

/S AGRO PESTICIDE S, 10, INDUSTRIAL ESTATE, ITARSI - 461111 (MP) CONTECT : 07572 - 230496, 230696
E-MAIL : agropesticides@gmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	**552.00**	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	**608.58**
		500 ml	**290.00**	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	**319.73**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 06.10.2025

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2680

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुवंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S WARKEM BIOTECH PVT. LTD.** PLOT NO. C-40, ROAD NO. 21Y, MIDC, WAGLE INDUSTRIAL AREA, THANE (WEST) 400604 MAHARASHTRA, CONTECT : C.B. PATIL : 8652723929 - E-MAIL : info@warkembiotech.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा**। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

प्रबंधक (विपणन)

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2681
10-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S WARKEM BIOTECH PVT. LTD.** PLOT NO. C-40, ROAD NO. 21Y, MIDC, WAGLE INDUSTRIAL AREA, THANE (WEST) 400604 MAHARASHTRA की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

RKEM BIOTECH PVT. LTD. PLOT NO. C-40, ROAD NO. 21Y, MIDC, WAGLE
RIAL AREA, THANE (WEST) 400604 MAHARASHTRA, CONTECT : C.B.
: 8652723929 E-MAIL : info@warkembiotech.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
CIB CERTIFIED IPM PRODUCT											
1	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
2	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	1 kg	215.00	5%	10.75	225.75	215.00	10.75	5%	11.29	237.04
3	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	190.00	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	209.48
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2682 दिनांक : 03.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S ALLWIN INDUSTRIES,** OFFICE NO. 11, FOURTH FLOOR, DAWA BAZAER, 13-14 R.N.T. MARG, INDORE (MP) CONTECT PERSON : SHRI PROMAD HARDIYA - 9425081146 E-MAIL : allwinindustries@hotmall.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

<u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

मापदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2683
10-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S ALLWIN INDUSTRIES,** OFFICE NO. 11, FOURTH FLOOR, DAWA BAZAER, 13-14 R.N.T. MARG, INDORE (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

WIN INDUSTRIES, OFFICE NO. 11, FOURTH FLOOR, DAWA BAZAER, 13-14 MARG, INDORE (MP) CONTECT PERSON : SHRI PROMAD HARDIYA - 081146 E-MAIL : allwinindustries@hotmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corporation Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	385.00	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	424.46
		500 ml	195.00	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	214.99
		250 ml	104.00	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	114.66
2	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	552.00	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	608.58
		500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
		250 ml	150.00	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	165.38
3	Trichoderma Viride 1.0% WP	500 gm	90.00	5%	4.50	94.50	90.00	4.50	5%	4.73	99.23
		250 gm	50.00	5%	2.50	52.50	50.00	2.50	5%	2.63	55.13
4	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	191.00	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	210.58
		500 gm	98.00	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	108.05
		250 gm	55.00	5%	2.75	57.75	55.00	2.75	5%	2.89	60.64
5	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	100 gm	32.00	5%	1.60	33.60	32.00	1.60	5%	1.68	35.28
6	Trichoderma Harzianum 1.0% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	120.00	5%	6.00	126.00	120.00	6.00	5%	6.30	132.30
		250 gm	65.00	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	71.66
		50 gm	15.00	5%	0.75	15.75	15.00	0.75	5%	0.79	16.54
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	145.00	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	159.86
		2 kg	280.00	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	308.70
		4 kg	540.00	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	595.35
		10 Kg	1080.00	5%	54.00	1134.00	1080.00	54.00	5%	56.70	1190.70
2	Copper Sulphate 24%	5 Kg	575.00	5%	28.75	603.75	575.00	28.75	5%	30.19	633.94
		1 kg	121.00	5%	6.05	127.05	121.00	6.05	5%	6.35	133.40
		500 gm	63.00	5%	3.15	66.15	63.00	3.15	5%	3.31	69.46
		250 gm	33.00	5%	1.65	34.65	33.00	1.65	5%	1.73	36.38
3	Magnese Sulphate 30.5% 1 kg	1 kg	87.00	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	95.92
		500 gm	44.00	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	48.51
4	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder.	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18
		10 Kg	347.00	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	382.67
		5 Kg	174.00	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	191.84
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%,Mn 0.5%,B 0.1%	5 Ltr	1275.00	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	1405.69
		1 Ltr	260.00	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	286.65
		100 gm	230.00	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	253.58
6	Ammonium Molibdate 52%	50 gm	125.00	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	137.81
7	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	26.00	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	28.67

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 06.10.2025 10

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2668

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S RUCHI BIOCHEMICALS,** REGD. OFFICE : 205/B-22, BIMBISARNAGAR, GOREGAON (E) MUMBAI - 400065 (MH) - CONTECT PERSON : MR. MAHENDRA THAKUR - 9767533399, 8550925000 - E-MAIL : ruchignd.office@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरुप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>**"भुगतान पश्चात् भुगतान"**</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

8. <u>मापदण्ड</u> – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. <u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

प्रबंधक (विपणन)

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2669
10-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S RUCHI BIOCHEMICALS,** REGD. OFFICE : 205/B-22, BIMBISARNAGAR, GOREGAON (E) MUMBAI - 400065 (MH) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

परिशिष्ट – 01

JCHI BIOCHEMICALS, REGD. OFFICE : 205/B-22, BIMBISARNAGAR,
GAON (E) MUMBAI - 400065 (MH) E-MAIL : ruchignd.office@gmail.com

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	500 ml	290.00	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	319.73
2	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	191.00	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	210.58
		500 gm	98.00	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	108.05
3	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	117.00	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	128.99
		250 gm	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
4	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	190.00	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	209.48
		500 gm	100.00	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	110.25
		250 gm	69.00	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	76.07
5	Trichoderma Harzianum 1.0% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	120.00	5%	6.00	126.00	120.00	6.00	5%	6.30	132.30
	FCO AUTORISED INM PRODUCT										
1	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder.	25 Kg	870.00	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	959.18

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025-26 / 2670 दिनांक : 03.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025-26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**ADVANCE BIO CARE INPUTS,** 57/1, ROHIT NAGAR, PHASE-2, AKRITI COLONY, BHOPAL (MP) CONTECT : MR. ABHINAV TRIPATHI 9559595000 E-MAIL : abhinav911@gmail.com

निगम की क्रय-विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

पदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2671
10-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **ADVANCE BIO CARE INPUTS,** 57/1, ROHIT NAGAR, PHASE-2, AKRITI COLONY, BHOPAL (MP)की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

ADVANCE BIO CARE INPUTS, 57/1, ROHIT NAGAR, PHASE-2, AKRITI COLONY, BHOPAL (MP) CONTECT : MR. ABHINAV TRIPATHI 9559595000 E-MAIL : abhinav911@gmail.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**
		4 kg	**540.00**	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	**595.35**

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2672

दिनांक : 03.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S PATANJALI ORGANIC RESEARCH INSTITUTE PVT. LTD. -** PATANJALI FOOD AND HERBAL PARK, PADARTHA VILLAGE, HARIDWAR - 249404 CONTECT : SHRI SACHIN NAUTIYAL, 8272068101, 9752950235 E-MAIL : info@patanjalibio.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. <u>दरों की प्रभावशीलता</u> : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. <u>शासकीय अनुदान</u> : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. <u>आदेश की प्रक्रिया</u> : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जों सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

भुगतान – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

प्रबंधक (विपणन)

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2673
10-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S PATANJALI ORGANIC RESEARCH INSTITUTE PVT. LTD.** - PATANJALI FOOD AND HERBAL PARK, PADARTHA VILLAGE, HARIDWAR - 249404 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

NJALI ORGANIC RESEARCH INSTITUTE PVT. LTD. - PATANJALI FOOD AND
PARK, PADARTHA VILLAGE, HARIDWAR - 249404 CONTECT : 8272068101
: info@patanjalibio.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	**385.00**	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	**424.46**
		500 ml	**195.00**	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	**214.99**
		250 ml	**104.00**	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	**114.66**
2	Trichoderma Viride 1.5% WP	1 kg	**191.00**	5%	9.55	200.55	191.00	9.55	5%	10.03	**210.58**
		500 gm	**98.00**	5%	4.90	102.90	98.00	4.90	5%	5.15	**108.05**
		250 gm	**55.00**	5%	2.75	57.75	55.00	2.75	5%	2.89	**60.64**
		100 gm	**22.00**	5%	1.10	23.10	22.00	1.10	5%	1.16	**24.26**
3	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**117.00**	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	**128.99**
		250 gm	**67.00**	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	**73.87**
4	Pseudomonas Fluorescens 1.0% WP	100 gm	**32.00**	5%	1.60	33.60	32.00	1.60	5%	1.68	**35.28**
5	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	**190.00**	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	**209.48**
		500 gm	**100.00**	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	**110.25**
		250 gm	**69.00**	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	**76.07**
6	Trichoderma Harzianum 1.0% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**120.00**	5%	6.00	126.00	120.00	6.00	5%	6.30	**132.30**
		250 gm	**65.00**	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	**71.66**
		50 gm	**15.00**	5%	0.75	15.75	15.00	0.75	5%	0.79	**16.54**
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**
		4 kg	**540.00**	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	**595.35**
2	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder.	25 Kg	**870.00**	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	**959.18**
		10 Kg	**347.00**	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	**382.57**
		5 Kg	**174.00**	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	**191.84**
3	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	**26.00**	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	**28.67**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2674 दिनांक : 03.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S KUNAL LOHACHEM PVT. LTD.** 23-P, INDUSTRIAL AREA, BHANPURI, P.O. BIRGAON, RAIPUR, CHHATTISGARH - 493221 MR. DHAN BAHADUR, 9893594071 - E-MAIL : klcagribari@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपकम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विकय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

मापदण्ड – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

26-15
10-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S KUNAL LOHACHEM PVT. LTD.** 23-P, INDUSTRIAL AREA, BHANPURI, P.O. BIRGAON, RAIPUR, CHHATTISGARH - 493221 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

KUNAL LOHACHEM PVT. LTD. 23-P, INDUSTRIAL AREA, BHANPURI, P.O. GAON, RAIPUR, CHHATTISGARH - 493221 MR. DHAN BAHADUR, 9893594071 E-AIL : mkt@agribari.com

परिशिष्ट – 01

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
FCO AUTORISED INM PRODUCT											
1	Chelated ZINC EDTA 12%	500 gm	**216.00**	5%	10.80	226.80	216.00	10.80	5%	11.34	**238.14**
		100 gm	**37.00**	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	**40.79**
2	Chelated FERROUS EDTA 12%	500 gm	**222.00**	5%	11.10	233.10	222.00	11.10	5%	11.66	**244.76**
3	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%,Mn 0.5%,B 0.1%	5 Ltr	**1275.00**	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	**1405.69**
		1 Ltr	**260.00**	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	**286.65**
		500 ml	**130.00**	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	**143.33**
		250 ml	**65.00**	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	**71.66**
		100 ml	**30.00**	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	**33.08**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 06.10.2025

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2676

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S OM AGRO ORGANIC,** 23, KOLHE LAYOUT, DARWHA ROAD, YAVATMAL DISTT. YAVATMAL - 445001 (MS) CONTEC NO. : 91-7798628383, 7620480376 E-MAIL : omagro76@gmail.com - E-MAIL : omagroytl@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विकय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विकय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2677
10-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S OM AGRO ORGANIC,** 23, KOLHE LAYOUT, DARWHA ROAD, YAVATMAL DISTT. YAVATMAL - 445001 (MS) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M AGRO ORGANIC, 23, KOLHE LAYOUT, DARWHA ROAD, YAVATMAL
, YAVATMAL - 445001 (MS) CONTEC NO. : 91-7798628383,
0480376 E-MAIL : omagro76@gmail.com E-MAIL :
agroytl@gmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE				SELLING PRICE				
			Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Trichoderma Viride 1.0% WP	1 kg	160.00	5%	8.00	168.00	160.00	8.00	5%	8.40	176.40
		500 gm	90.00	5%	4.50	94.50	90.00	4.50	5%	4.73	99.23
		250 gm	50.00	5%	2.50	52.50	50.00	2.50	5%	2.63	55.13
		100 gm	20.00	5%	1.00	21.00	20.00	1.00	5%	1.05	22.05
2	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	220.00	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	242.55
		500 gm	117.00	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	128.99
		250 gm	67.00	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	73.87
		100 gm	25.00	5%	1.25	26.25	25.00	1.25	5%	1.31	27.56
3	Verticillium Lecanii 1.15% WP	250 gm	69.00	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	76.07

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. LTD. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / IPM & INM - 57 / 2025–26 / 2618 दिनांक : 01.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 15.09.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के लिए CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT के प्रदाय हेतु निम्न प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01.	**M/S MICROPLEX INDIA - BRANCH OFFICE :** 54, MIG MLA QUARTER, JAWAHAR CHOWK, BHOPAL (MP) - 462003 CONTECT PERSON : SHRI SANJAY KAUSHAL - 9893132487 E-MAIL : microplex.mp@gmail.com

निगम की क्रय–विक्रय दरें परिपत्र के साथ संलग्न है, संलग्न की जा रही दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 01.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।

3. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

..... 2

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

4. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की इन हाउस टेस्ट रिर्पोट प्रदायक से सामग्री प्रदायगी के साथ प्राप्त की जावे।

(ब) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(स) प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती / संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – निगम के माध्यम से विभाग / कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल होना एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध होना आवश्यक होगा।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था / उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 में दिये गये है। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा CIB CERTIFIED IPM PRODUCT AND FCO COVERED INM PRODUCT हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 15.09.2025 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्ते इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दर सूची

2619
01-10-25

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रदायक **M/S MICROPLEX INDIA - BRANCH OFFICE :** 54, MIG MLA QUARTER, JAWAHAR CHOWK, BHOPAL (MP) - 462003 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि जिला प्रबंधक को सामग्री की प्रदायगी के साथ इनहाउस टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न की जावे। प्रदायित सामग्री एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन पत्र में शामिल हो एवं अनुज्ञापन पत्र की वैधता अवधि की प्रभावशीला का वैध हो, सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

S MICROPLEX INDIA BRANCH OFFICE : 54, MIG MLA QUARTER, JAWAHAR CHOWK,
OPAL (MP) - 462003 CONTECT PERSON : SHRI SANJAY KAUSHAL - 9893132486
MAIL : microplex.mp@gmail.com

परिशिष्ट – 01

CIB CERTIFIED IPM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE: Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	SELLING PRICE: Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Azadirachthin 0.03% 300 PPM	1 Ltr	**272.00**	5%	13.60	285.60	272.00	13.60	5%	14.28	**299.88**
		500 ml	**142.00**	5%	7.10	149.10	142.00	7.10	5%	7.46	**156.56**
		250 ml	**76.00**	5%	3.80	79.80	76.00	3.80	5%	3.99	**83.79**
2	Azadirachthin 0.15% 1500 PPM	1 Ltr	**385.00**	5%	19.25	404.25	385.00	19.25	5%	20.21	**424.46**
		500 ml	**195.00**	5%	9.75	204.75	195.00	9.75	5%	10.24	**214.99**
		250 ml	**104.00**	5%	5.20	109.20	104.00	5.20	5%	5.46	**114.66**
3	Azadirachthin 0.30% 3000 PPM	1 Ltr	**552.00**	5%	27.60	579.60	552.00	27.60	5%	28.98	**608.58**
		500 ml	**290.00**	5%	14.50	304.50	290.00	14.50	5%	15.23	**319.73**
		250 ml	**150.00**	5%	7.50	157.50	150.00	7.50	5%	7.88	**165.38**
4	Trichoderma Viride 1.0% WP	1 kg	**160.00**	5%	8.00	168.00	160.00	8.00	5%	8.40	**176.40**
		500 gm	**90.00**	5%	4.50	94.50	90.00	4.50	5%	4.73	**99.23**
		250 gm	**50.00**	5%	2.50	52.50	50.00	2.50	5%	2.63	**55.13**
5	Beauveria Bassiana 1.15% WP	1 kg	**220.00**	5%	11.00	231.00	220.00	11.00	5%	11.55	**242.55**
		500 gm	**117.00**	5%	5.85	122.85	117.00	5.85	5%	6.14	**128.99**
		250 gm	**67.00**	5%	3.35	70.35	67.00	3.35	5%	3.52	**73.87**
6	Verticillium Lecanii 1.15% WP	1 kg	**190.00**	5%	9.50	199.50	190.00	9.50	5%	9.98	**209.48**
		500 gm	**100.00**	5%	5.00	105.00	100.00	5.00	5%	5.25	**110.25**
		250 gm	**69.00**	5%	3.45	72.45	69.00	3.45	5%	3.62	**76.07**
7	HNPV	100 LE	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		250 LE	**345.00**	5%	17.25	362.25	345.00	17.25	5%	18.11	**380.36**

FCO AUTORISED INM PRODUCT

S.N.	PRODUCT NAME	PAKING	PURCHASE PRICE: Basic Rate	GST %	GST Amount	Purchase Price including GST	SELLING PRICE: Basic Rate	Corpo-ration Margin	GST %	GST Amount	FINAL SALLING PRICE
1	Mychorhiza (Viable 10 spore/g)	1 kg	**145.00**	5%	7.25	152.25	145.00	7.25	5%	7.61	**159.86**
		2 kg	**280.00**	5%	14.00	294.00	280.00	14.00	5%	14.70	**308.70**
		4 kg	**540.00**	5%	27.00	567.00	540.00	27.00	5%	28.35	**595.35**
2	Chelated ZINC EDTA 12%	100 gm	**37.00**	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	**40.79**
3	Chelated FERROUS EDTA 12%	100 gm	**37.00**	5%	1.85	38.85	37.00	1.85	5%	1.94	**40.79**
4	Magnese Sulphate 30.5%	1 kg	**87.00**	5%	4.35	91.35	87.00	4.35	5%	4.57	**95.92**
		500 gm	**44.00**	5%	2.20	46.20	44.00	2.20	5%	2.31	**48.51**
		250 gm	**24.50**	5%	1.23	25.73	24.50	1.23	5%	1.29	**27.01**
5	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Soil Application (Granular/Powder) Zn 5%, Mn 1% Cu 0.5%, B 0.5% Powder	25 Kg	**870.00**	5%	43.50	913.50	870.00	43.50	5%	45.68	**959.18**
		10 Kg	**347.00**	5%	17.35	364.35	347.00	17.35	5%	18.22	**382.57**
		5 Kg	**174.00**	5%	8.70	182.70	174.00	8.70	5%	9.14	**191.84**
6	Inorganic Micro Nutrient Mixture For Foliar Spray (Liquid) Zn 3%, Mn 0.5%, B 0.1%	5 Ltr	**1275.00**	5%	63.75	1338.75	1275.00	63.75	5%	66.94	**1405.69**
		1 Ltr	**260.00**	5%	13.00	273.00	260.00	13.00	5%	13.65	**286.65**
		500 ml	**130.00**	5%	6.50	136.50	130.00	6.50	5%	6.83	**143.33**
		250 ml	**65.00**	5%	3.25	68.25	65.00	3.25	5%	3.41	**71.66**
		100 ml	**30.00**	5%	1.50	31.50	30.00	1.50	5%	1.58	**33.08**
7	Ammonium Molibdate 52%	100 gm	**230.00**	5%	11.50	241.50	230.00	11.50	5%	12.08	**253.58**
		50 gm	**125.00**	5%	6.25	131.25	125.00	6.25	5%	6.56	**137.81**
8	Ferrous Sulphate 19%	1 kg	**26.00**	5%	1.30	27.30	26.00	1.30	5%	1.37	**28.67**

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★